तारीख हुक्म	302/2012. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/5/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नही जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28/5/2018 को पेश हो।	
28/5/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। पत्रावली मे बहस सुने हुये एक माह से अधिक की समयावधि व्यतीत हो गई है। अतः पत्रावली मे पुनः बहस सुना जाना उचित समझा जाता है। पत्रावली पुनः बहस सुनवाई हेतु दिनांक 04/6/2018 को पेश हो।	M.L. Sharma Ad.
04/6/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/6/2018 को पेश हो।	M.L. Sharma Advocate
13.06.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। पत्रावली दिनांक 02.07.18 को पेश हो।	
02.07.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ख.नं. 310 रकबा 0.80 है० वाके ग्राम पापड़ी पर वह काफी वर्षों से काबिज है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 19 थे तथा भूमि सिवाय-चक होने से वादी बहैसियत व्यवसायिक	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	302/2012	मनीष कुमार / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.18 लगातार		हक अधिकारी है। प्रतिवादी (रेस्पोन्डेन्ट) सं.02 व 04 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है परन्तु हाल सेटलमेन्ट के समय बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं वादी को बिना नोटिस दिये व बिना जानकारी के वादग्रस्त भूमि को महकमा जंगलात के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त इन्द्राज के कारण प्रतिसंख्या 02 व 04 वादी को भूमि मुतनाजा से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। भूमि साबिक रिकॉर्ड में सिवायचक बंजड़ दोयम दर्ज रही है जो नियमन अथवा आवंटन की जा सकती है। वादी भूमिहीन कृषक है, भूमि पर मकानात बना रखे हैं तथा काश्त करता आ रहा है अतः नियमानुसार भूमि का आवंटन अथवा नियमन करवाये जाने का अधिकारी है जबकि प्रतिवादी सं.02 वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादी द्वारा उक्त कथन कर अनुतोष चाहा गया कि वादग्रस्त भूमि को साबिक रूप से बंजड़ दोयम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें। प्रकरण में प्रतिवादी सं.03 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि जरिये राजपत्र सं. एफ 07 (100) रा.व./61 दिनांक 10.05.1961 के द्वारा आरक्षित वन का भाग घोषित की जा चुकी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त राज्यादेश की पालना में ही भूमि को महकमा जंगलात के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि का आवंटन अथवा नियमन वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवम् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2000 का उल्लंघन है। वादी द्वारा बदनियती पूर्वक वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है एवम् वादी के विरुद्ध वन अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का वाद विचाराधीन	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	302/2012 मनीषकुमार / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.18 लगातार	है। प्रतिवादी सं० 03 द्वारा उक्त कथन कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में चार तनकियां कायम की गई तथा सर्वप्रथम तनकी सं० 04 विधिक तनकी होने से उस पर बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी का वाद खारिज फरमाया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तनकी सं० 04 पर सुना जाकर अन्य तनकियों पर भी निर्णय पारित कर दिया गया है जबकि उनपर वादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आपत्ति के आधार पर अपील स्वीकार फरमाई जाने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2012 निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में एवम् अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा वाद के सभी विवाद्यक पर सुने बगैर पारित किये गये निर्णय को अवैधानिक कथन करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014(1) WLN 264 (Raj), AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2133 एवम् AIR 1985 गुजरात 95 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस (हस्ताक्षर)	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मनीष कुमार / सरकार

302/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.07.18
लगातार

में जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि तनकी नं.4 मुख्य विधिक तनकी है तथा उक्त तनकी का निर्णय वादी के विरुद्ध हो जाने से भूमि का आरक्षित वन भूमि होना साबित हो चुका है। वन भूमि का नियमन अथवा आवंटन संभव नहीं है तथा वन भूमि पर अतिक्रमण स्वरूप किये गये कब्जे को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा Protect नहीं किया जा सकता है अतः अन्य तनकी संख्या 01 से 03 पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक नहीं रहा है। अपीलार्थी की अपील में कोई विधिक बल नहीं होने से वह खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा सिवाय चक भूमि पर काबिज काश्त होने के आधार पर आवंटन अथवा नियमन का पात्र होना कथन करते हुए भूमि को बंजड़ दोयम दर्ज करने एवम् प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि ख.नं. 310 महकमा जंगलात की खातेदारी में दर्ज है तथा किस्म बंजड़ दोयम आज भी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं.4 निम्न प्रकार से कायम की गई है:-

"4. आया विवादित भूमि वन विभाग की नोटिफाईड भूमि होने से दावा काबिल खारिज है।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन उपरान्त तथा राजपत्र दिनांक 10.05.1961 के आधार पर वादग्रस्त भूमि को वन विभाग की भूमि होना निर्णित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय को कोई चुनौती अपनी अपील में नहीं दी गई है तथा मात्र यह आपत्ति ली गई है कि तनकी सं. 01 से 03 पर उन्हें नहीं सुना गया है। तनकी सं.4 के निर्णय उपरान्त वादग्रस्त भूमि वन विभाग की होना साबित हो जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	302/2012 मनीष कुमार / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.18 लगातार	के उपरान्त वह न तो नियमन योग्य है एवम् न ही आवंटन योग्य। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 वादी के विरुद्ध निर्णित हो जाने से वादी का स्वाभाविक रूप से खारिज हो जाता है तथा तनकी सं. 01 व 03 अप्रासंगिक हो गई है और उनपर निर्णय पारित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण में हमारे विनम्र मत से चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं रही है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2012 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को सुनाया गया।	